ख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन संख्या 06/2018 अनवान तहसीलदार बाडमेर बनाम अधिशासी अभियन्ता रा.उ.मा. 15 खण्ड बाडमेर**	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
02/02/18	प्रार्थी तहसीलदार बाडमेर द्वारा एक आवेदन अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि हस्तगत प्रकरण में आदेश पारित करते वक्त आदेश में खसरा संख्या 495/160 रकबा 25.14 बीघा के स्थान पर सहवन से खसरा संख्या 494/160 रकबा 25.14 बीघा अंकित हो गया है, जो अशुद्ध है, जिसे शुद्ध किया जावे। प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आदेश दिनांक 30.01.2018 में सहवन से खसरा संख्या 494/160 रकबा 25.14 बीघा अंकित हो गया है, जो अशुद्ध है, जिसे शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र धारा 151 सीपीसी के अन्तर्गत स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 30.01.2018 में खसरा संख्या 494/160 रकबा 25.14 बीघा के स्थान पर खसरा संख्या 495/160 रकबा 25.14 बीघा शुद्ध किया जाता है तथा आदेश के अन्तिम पैरा में अंकित अवाप्त शब्द के स्थान पर संशोधित शब्द अंकित कर संशोधित किया जाता है। उप खण्ड अधिकारी बाड़मेर	

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner